टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/1 लागू तिथि 20.3.2013

कल्यानपुर स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/1 दिनाँक 09.9.2011 में व्याप्त कमियो के सम्बन्ध में संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनॉक 6. 02.2013

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

सामान्य भाग :-

1. पृष्ठ संख्या 3 पैरा 2.6 किमी० संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 4 पैरा 4.1 संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 8 पैरा 4.5 संशोधित
4. पृष्ठ संख्या 11 पैरा 6.1.1 संशोधित
5. पृष्ठ संख्या 13 पैरा 6.5 (ख) संशोधित
6. पृष्ठ संख्या 16 पैरा 6.9 (घ) जोडकर संशोधित
7. पृष्ठ संख्या 16 पर पैरा 7 को संशोधित करके पृष्ठ 16 ए पर समायोजित किया गया।
8. परिशिष्ट 'ड़' पृष्ठ संख्या 1 मद सं० 9 जोडकर संशोधित

सिगनलिंग परिशिष्ट :-

1. परिशिष्ट 'क' गेट सं० 12बी/बी पृष्ठ संख्या 1,2,3,5,6 व 11 किमी० तथा फ्यूजी का संदर्भ हटाकर संशोधित
2. परिशिष्ट 'क-I' गेट सं० 12 ए/बी पृष्ठ संख्या 1,3,5,6 व 10 किमी० तथा फ्यूजी का संदर्भ हटाकर संशोधित
3. परिशिष्ट 'क-II' गेट सं० 13/बी पृष्ठ संख्या 3,5,6 व 10 किमी० तथा फ्यूजी का संदर्भ हटाकर संशोधित
4. परिशिष्ट 'क-III' गेट सं० 14/सी पृष्ठ संख्या 3,5,6 व 10 किमी० तथा फ्यूजी का संदर्भ हटाकर संशोधित
5. परिशिष्ट 'क-IV' गेट सं० 14/ASpl पृष्ठ संख्या 3,5,6 व 10 किमी० तथा फ्यूजी का संदर्भ हटाकर संशोधित
6. परिशिष्ट 'क-V' गेट सं० 15/सी पृष्ठ संख्या 3,5,6 व 10 किमी० तथा फ्यूजी का संदर्भ हटाकर संशोधित

परिशिष्ट 'ख'

7. पृष्ट संख्या 13 किमी संशोधित

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा०)/इज्जतनगर

पूर्वोत्तर रेलवे

सं0–इज्जत/1 **इज्जतनगर मण्डल**

कल्यानपुर स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बड़ी लाइन)

जारी तिथि 9.9.2011
लागू तिथि 26.11.2011
पुनरीक्षण तिथि Sept-2016

"बी श्रेणी, इकहरी लाइन, पैनल अन्तर्पाशित, मानक– III,
बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03 (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी : 1.स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/1 दिनॉक 14.2.2006 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिकमण नही करते।

1. **स्टेशन संचालन नियम आरेख (रुल डायग्राम) :**
सी०एस०टी०ई०/कान/गोरखपुर की एस०आई०पी० सं० NER / IZN / KAP / 2004 / VER-ZERO Alt."F" पर आधारित इस स्टेशन का नियमारेख संख्या 29 दिनॉक 29.11.2007 संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है

2. **स्टेशन का विवरण** :

2.1. **सामान्य (स्थिति) :**
कल्यानपुर स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल–कासगंज मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर 'बी' श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल से 12.08 किमी0 तथा कासगंज से 234.98 किमी0 की दूरी पर स्थित है।

2.2. **दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी एवं बाहरी साइडिंगें :**

मन्धना (पूर्व दिशा में) : 06.84 किमी० की दूरी पर स्थित है.।
रावतपुर (पश्चिम दिशा में) : 05.23 किमी० की दूरी पर स्थित है।

(i) **आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :**
इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(ii) **बाहरी साइडिंगें** : कोई नहीं

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(iii) **<u>दोनो ओर के नान-ब्लाक / हाल्ट स्टेशन</u>** : कोई नहीं।

2.3. **<u>स्टेशन के दोनो ओर के ब्लाक खण्ड</u>** :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहॉ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है	वह स्थान जहॉ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है
कल्यानपुर-मन्धना	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-2 (कल्यानपुर)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (मन्धना)
कल्यानपुर- रावतपुर	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-11 (कल्यानपुर)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (रावतपुर)

2.4 **<u>ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो</u>** :

स्टेशन भवन की मध्य रेखा से मन्धना की ओर चेनेज 1100 से आगे 500 में 1 का उतरता ढलान है।

2.5 **<u>अभिन्यास (ले–आउट)</u>** :

इस स्टेशन का अभिन्यास 2 लाइनों का है। लाइन सं0 1 एवं 2 रनिंग लाइनें हैं । सभी रनिंग लाइनें ट्रैक सर्किटेड हैं।

2.5.1. **<u>परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी0एस0आर0)</u>** :

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी0एस0आर0)	टिप्पणी
लाइन संख्या–1	686 मीटर	प्लेटफार्म वाली लूप लाइन
लाइन संख्या–2	686 मीटर	मेन लाइन

(ख) परिचालित लाइन संख्या– 2 सीधी लाइन है।

(ग) अप अथवा डाउन गाड़ियॉ किसी भी परिचालित लाइन पर/से किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है ।

2.5.2 **<u>अपरिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी0एस0आर0)</u>** :

यहाँ अपरिचालित लाइने नहीं है।

2.5.3 **<u>अभिन्यास (ले–आउट) में असामान्य बातें</u>** : कोई नहीं ।

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है।

संचालन नियम संख्या इज्जत/1 कल्यानपुर

2.6. **समपार फाटक :**

i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है :–

गेट सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन हेतु उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार सुविधा	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
			परिचालन समपार फाटक			
12A-B	अप होम सिगनल सं० 12 तथा डाउन अग्रिम प्रस्थान सिग० एस-11 के मध्य	सड़क याता-यात हेतु खुला	कार्यरत गेट मैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
13-B	शंन्ट सिगनल सं० SH-32 तथा डाउन अग्रिम प्रस्थान सिग० एस-11 के मध्य	सड़क याता-यात हेतु खुला	कार्यरत गेट मैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
14-C	स्टेमा० कार्यालय तथा कॉटा सं० 201B के मध्य	सड़क याता-यात हेतु खुला	कार्यरत गेट मैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
14A-Spl	डाउन होम सिगनल एस-1 तथा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस- 2 के मध्य	सड़क याता-यात हेतु खुला	कार्यरत गेट मैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
			इंजीनियरिंग समपार फाटक			
12B-B	कल्यानपुर-रावतपुर के मध्य किमी० 8/12-13	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
15-C	कल्यानपुर - मन्धना के मध्य किमी० 12/3-4	सड़क यातायात हेतु बन्द	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क' से 'क–V' देखें।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है।

संचालन नियम संख्या इज्जत/1 कल्यानपुर

3.. **संचालन की पद्धति एवं साधन :**

अगल–बगल के ब्लाक स्टेशनों मन्धना ज0 तथा रावतपुर से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी / असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला दूरभाष युक्त विद्युत ब्लाक टोकनलैस यन्त्र एक्सिल काउन्टर के साथ मन्धना जं0 तथा रावतपुर स्टेशन के साथ अलग–अलग सम्बद्ध।	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	–

सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.07, 14.08(ख) 14.10, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है ।
(विशेष रुप से सहा0 नियम 14.02 (v) एवं साधा0तथा सहायक नियम 14.04 एवं 14.12(1) देखें)

4 **संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :**

4.1 **विशेष संकेतन के लक्षणो सहित संकेतन के प्रकार** :

कल्यानपुर स्टेशन अन्तर्पाशित मानक-III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ लाइन संख्या 1 एवं 2 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉटों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है। दोनो छोर पर होम सिगनल व विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर सिगनलो के मध्य एक्सल काउन्टर का प्रावधान है। इनके रिसेट बाक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त है। (पैनल के परिचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' का पैरा देखें।

प्रदत्त सिगनल :

(क) **अप आगमन सिगनल (रावतपुर से)**

i) अप डिस्टेन्ट सिगनल –होम सिगनल संख्या एस 12 के संकेतों पर आधारित।

जं0 संकेतकों सहित अप होम सिगनल संख्या एस 12 के संकेत निम्न प्रकार हैः–

ii) लाइन संख्या 1 के लिए बॉयी ओर जंक्शन इंडीकेटर के साथ।

iii) लाइन संख्या 2 के लिए जंक्शन इंडीकेटर रहित।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा०)/इज्जतनगर

(ख) **अप प्रस्थान सिगनल (मन्धना जं0 को) :**

i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 4 मेंन लाइन संख्या 2 के लिए

ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 6 लूप लाइन संख्या 1 के लिए

iii) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 मन्धना स्टेशन छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति द्वारा नियन्त्रित होता है ।

(ग) **डाउन आगमन सिगनल (मन्धना जं0 से) :**

i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल–होम सिगनल संख्या एस 1 के संकेतों पर आधारित।

जं0 संकेतकों सहित डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 के संकेत निम्न प्रकार हैः–

ii) लाइन संख्या 1 के लिए दॉयी ओर जंक्शन इंडीकेटर के साथ।

iii) लाइन संख्या 2 के लिए जंक्शन इंडीकेटर रहित।

(घ) **डाउन प्रस्थान सिगनल (रावतपुर को) :**

i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 5 मेन लाइन संख्या 2 के लिए

ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 7 लूप लाइन संख्या 1 के लिए

iii) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 रावतपुर स्टेशन छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की ' ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित होता है ।

(ङ) **अतिरिक्त सिगनल :**

(i) **कालिंग आन सिगनल** :

कालिंग आन सिगनल संख्या	**विवरण**
अप कालिंग आन सिगनल सं0 **सी 10**	यह अप होम सिगनल सं0 एस 12 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं0 1/2 में आने के लिए है।
डाउन कालिंग आन सिगनल सं0 **सी 3**	यह डाउन होम सिगनल सं0 एस 1 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं0 1/2 में आने के लिए है।

(ii) **शंट सिगनल :**

(क) आश्रित शंट सिगनल		
शंट सिगनल संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	**विवरण**
एस एच 24	अप प्रस्थान सिगनल सं0 एस 4	लाइन सं0 2 से मन्धना छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 25	डाउन प्रस्थान सिगनल सं0 एस 5	लाइन सं0 2 से रावतपुर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक शंटिंग के लिये
एस एच 26	अप प्रस्थान सिगनल सं0 एस 6	लाइन सं0 1 से मन्धना छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 27	डाउन प्रस्थान सिगनल सं0 एस 7	लाइन सं0 1 से रावतपुर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक शंटिंग के लिये

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ख) अनाश्रित शंट सिगनल :

शंट सिगनल संख्या	विवरण
एस एच 31	मन्धना छोर से लाइन सं0 1 तथा 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु ।
एस एच 32	रावतपुर छोर से लाइन सं0 1 एवं 2 में शटिंग के लिये आने हेतु।

4.1.(क) सभी काँटें एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते है जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते है । यह स्टेशन मास्टर के कक्ष में स्थित है। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं संकेतकों के संचालन हेतु पुश बटन प्रदत्त हैं।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।

(ग) दोनो ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पँक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन संकेतक दिये गये है। जँक्शन संकेतक सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नही करेगा। एक पँक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ अपसारी मार्ग (डाइवर्जिग रुट) इंगित करेगीं।

(घ) स्टेशन मास्टर, कॉटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर की नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज़ लाक को पाशित करती है, के द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है,यह विद्युतीय रूप से कॉटों एवं सिगनलो पर नियन्त्रण वियोजित कर देता हैं। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई0जी0 जी0 एन0 बटन एक साथ दबाकर सिगनलो को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है।

(ङ) मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल के 'हरे' आस्पेक्ट पर तथा लूप लाइन प्रस्थान सिगनल के पीले आस्पेक्ट पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल का नियन्त्रण है।

(च) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट ''ख'' में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

4.1.2.1 **काँटा पुश बटन** :–

पैनल के दोनों सिरों पर कॉटों के संचालन के लिये प्रत्येक कॉटें के लिये उसका पुश बटन दिया गया है। कॉटे को नार्मल स्थिति में करने के लिये उस कॉटे का बटन तथा साथ में एन0डब्लू0डब्लू0 एन0 (NWWN) पुश बटन तथा रिवर्स स्थिति में करने के लिये कॉटे के बटन के साथ आर0डब्लू0 डब्लू0एन0 (RWWN) पुश बटन दबाना होगा। कॉटों का अलग–अलग संचालन गाड़ी को कालिंग आन सिगनल पर रिसीव करने के समय तथा गाड़ी के पूर्ण आगमन के बाद रूट को रिवर्स करने के समय किया जायेगा।

4.1.3 **ट्रैक सर्किट** :-

परिचालित लाइन संख्या 1 एवं 2 ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक तथा होम सिगनलों के आगे 5 रेल की लम्बाई तक अग्रिम प्रस्थान सिगनलों तक दोनों ओर दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के अभिधृत (आक्यूपाई) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल और सफेद प्रकाश के रुप में दिया हुआ है।

(एम0पी0सिंह)	(जवाहर राम)
मण्डल सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर	मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4.1.4 **पुश बटन रिमाइन्डर कालर :–**

पुश बटन रिमाइन्डर कालर पैनल के एक स्थान पर प्रदत्त है। जब कभी सिगनल या कॉंटा या रूट बटन के एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रचलन को रोकना हो तो इन कालरों को पुश बटनों के ऊपर लगा देना चाहिए। ऐसा करने से पुश बटनों को दबाया नहीं जा सकेगा।

4.1.5 **सिगनल बटन :–**

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये अलग–अलग पुश बटन का प्रावधान है, जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल को आफ करना है, उस सिगनल का सिगनल बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना अथवा भेजना है, उस लाइन के रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

4.1.5 **रूट बटन :–**

पैनल पर जिन लाइनों के लिये सिगनल आफ किया जाना है, उन लाइनों पर अलग–अलग रूट बटनों का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

(स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध अन्य बटनों के संचालन के लिये परिशिष्ट 'ख' देखें)

4.2 **स्थाई रुप से ताला बन्द कॉंटें:**
यहाँ स्थायी रूप से ताला बन्द कॉंटे नहीं है ।

4.3 **मेन लाइन का पृथक्करण (आइसोलेशन) :**

(i) क्रासओवर 201ए–201बी नार्मल स्थिति में मेन लाइन को मन्धना छोर पर आइसोलेट करते है।

(ii) क्रासओवर 203ए–203बी नार्मल स्थिति में मेन लाइन को रावतपुर छोर पर आइसोलेट करते हैं।

4.4 **विद्युत चालित कॉंटा मशीन क्रैन्क हैण्डिल चाबी** :

(क) परिचालित लाइनों पर प्रदत्त कॉंटा संख्या–201 एवं 203 मोटर चालित कॉंटें है तथा प्रत्येक कॉंटें पर विद्युत कॉंटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये कॉंटें स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते है। मोटर संचालित कांटों की विफलता के समय कांटों को सेट करने हेतु क्रैन्क हैन्डिल चाबी का प्रयोग किया जायेगा।
क्रैन्क हैन्डिल चाबी एवं उनके द्वारा संचालित कॉटों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	क्रैन्क हैन्डिल चाबी संख्या	संचालित किये जाने वाले कॉटें
1	सी०एच०-1	201ए, 201बी, (MDA side)
3	सी०एच०-3	203ए, 203बी, (RPO side)

कार्यरत कॉंटेवाला द्वारा साधारण नियम 3.69(iii) के अन्तर्गत सेट, क्लैम्प एवं पैडलाक किया जायेगा। इनकी सही सेटिंग सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है। इस दशा में कॉंटों का ठीक ढंग से सेट करना एवं जहाँ आवश्यक हो, पाशित करना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत स्टेशन मास्टर का है। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा टी-369(3b) दिया जायेगा।

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ख) ऐसी परिस्थिति में स्टेशन नान–इन्टरलाक समझा जायेगा । प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैंक हैन्डिल विद्युत काँटा मशीन द्वारा परिचालित काँटों के हस्थ प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारुप में प्रविष्टि अवश्य अँकित की जानी चाहिये।

क्रम सं0	क्रेंक हैन्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रेंक हैन्डिल चाबी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रेंक हैन्डिल चाबी निकालने का उद्देश्य विफलता/ परीक्षण	क्रैंक हैन्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रेंक हैन्डिल चाबी वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

टिप्पणी : क्रैंक हैन्डिल के प्रचालन की विधि संकेतन परिशिष्ट "ख" में देखें।

4.5 **वीडर काउन्टर –**

पैनल पर निम्नलिखित पाँच वीडर काउन्टर का प्रावधान हैं जो पैनल द्वारा संबंधित संचालन के पश्चात् एक अंक बढ़ जाते हैं :–

1. आपात्कालीन रूट रिलीज वीडर काउन्टर (ई0यू0यू0वाई0एन0)(EUUYN)
2. आपात्कालीन रूट निरस्तीकरण वीडर काउन्टर (ई0यू0वाई0एन0)(EUYN)
3. कालिंग आन सिगनल वीडर काउन्टर ।
4. सिगनल को 'आफ' से 'आन' करने के लिये वीडर काउन्टर (ई0जी0जी0एन0) **(EGGN)**।
5. क्रैंक हैण्डिल वीडर काउन्टर
6 टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र वीडर काउन्टर (दोनो दिशाओं के लिये अलग–अलग)
7 एक्सिल काउन्टर वीडर काउन्टर (दोनो दिशाओं के लिये अलग–अलग)

जब सम्बधित स्विच को जिसके लिये ये वीडर काउन्टर प्रदत्त है, का प्रयोग किया जाता है, तब प्रत्येक बार एक उच्च डिजिटल संख्या वीडर काउन्टर पर उभरती है। प्रत्येक बार जब क्रैन्क हैण्डिल का प्रयोग किया जाय तो वीडर काउन्ट में दर्ज संख्या को इस उद्देश्य से अनुरक्षित पंजिका में अंकित किया जाय एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन का कार्य भार का आदान–प्रदान करते समय वीडर काउन्टर की वास्तविक संख्या एवं वीडर काउन्टर रजिस्टर की प्रविष्टियॉ समान ध्‍ अद्यतन सुनिश्चित की जाय।

4.6 **रिल रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य विधि** :-

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित हैं। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस एण्ड टी) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसे खोलने के के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस एण्ड टी कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर द्वारा चाबी सौंपी जानी चाहिए।

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा०)/इज्जतनगर

4.7 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई) :-**
विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग , कॉटों का संचालन एवं सिगनलों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आई०पी०एस० का प्रावधान किया गया है। आई०पी०एस० का विवरण परिशिष्ट ‘ख’ का पैरा देखें।

4.8 **पर्याप्त दूरी** :–
अनुमुख कॉंटों से आगे पर्याप्त दूरी नियम 3.40 (i) (बी) के अनुसार गाड़ी रूकने के स्थान से निश्चित की गयी है।

5. **दूरसंचार :**
(i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बध्द कन्ट्रोल टेलीफोन
(ii) मन्धना स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बध्द साइड टेलीफोन
(iii) रावतपुर स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बध्द साइड टेलीफोन
(iv) बी०एस०एन०एल० टेलीफोन
(v) वी०एच०एफ०सैट
(vi) ट्रैफिक गेट सं० 12A/B तथा स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन
(vii) ट्रैफिक गेट सं० 13/B तथा स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन
(viii) ट्रैफिक गेट सं० 14/C तथा स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन
(ix) ट्रैफिक गेट सं० 14A/Spl तथा स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन
(x) इंजी०गेट सं० 12B/B (KAP -RPO) तथा स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन
(xi) इंजी०गेट सं० 15/C (KAP -MDA) तथा स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन

(संचार साधनों के विफल होने पर गाड़ी सचांलन हेतु सिगनलिंग परिषिष्ट 'ख' के पैरा 10A में उल्लिखित नियमानुसार कार्यवाही सुनिष्चित की जाये)

6. **गाड़ी संचलन :**
गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.41(i)(ख) (2), 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशो के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेगें।

6(1) **गाड़ियों का आगमन :**
जब परिचालित लाइन संख्या 1 एवं 2 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :–

(क). जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किट के लिये ट्रैक आक्यूपेन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश तो नही जल रहा है।

(ख) सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन होना है, साफ एवं बाधा रहित है । लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए।

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(i) **अप गाड़ियों के लिए :**

(क). लाइन सं0 1 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक।

(ख) लाइन सं. 2 पर आगमन के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक।

(ii) **डाउन गाड़ियों के लिए :**

(क). लाइन संख्या 1 पर आगमन के लिए सैण्ड हम्प तक या डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक।

(ख) लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनाये।

(घ) सुनिश्चित करें कि अप गाडी लाइन सं0 1 या लाइन सं0 2 पर लेते समय गेट सं0 12A/बी, 13/बी एवं 14/सी को बन्द कर दिया गया है। गेट नियंत्रण बटन संख्या क्रमशः 554, 553 एवं 551 को लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है। जिससे इन गेटों के बन्द होने के इंडिकेशन पैनल पर दिखाई देगें।

इसी प्रकार डाउन गाडी लाइन सं0 1 पर सैण्ड हम्प बनाकर लेते समय गेट 14A/स्पेशल तथा 14/सी का बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें और गेट नियन्त्रण बटन क्रमशः 551 एवं 552 को लाक्ड स्थिति में दबायें जिससे गेट बन्द का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा। मेन लाइन सं0 2 पर या मेन लाइन बनाकर लाइन सं0 1 पर गाड़ी लेते समय गेट सं0 14A/स्पेशल, 14/सी तथा 13/बी को बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 551, 552, 553 को लाक्ड स्थिति में दबाये जिससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखाई देगा।

(ड़) आने वाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' के अनुसार सिगनल बटन तथा रुट बटन एक साथ दबायें।

(च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।

(छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तिया जल जायेंगीं।

(ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वांइट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।

(झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल 'आन'' स्थिति में हो गये हैं।

(ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं । और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर जल जाती हैं।

(ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।

(ब्लाक लाइन के विरुद्ध कांटों को सेट करने के लिये सा0 एवं स0 नि 5.19 देखिये)

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है।

संचालन नियम संख्या इज्जत/1 कल्यानपुर

6.1 **गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :**

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, गेटमैन एवं कॉटावाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 **प्रत्येक पाली में गाड़ी परिचालन कर्मचारी :**

दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	04	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सॉध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉंटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	04	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 **लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्यित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र:**

कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन पैनल पर प्रदत्त रेल पथ परिपथों के संकेतों कें माध्यम से गाड़ी के आगमन-प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। रेल पथ परिपथ की विफलता तथा बल्बों के फ़्यूज़ होने की स्थिति में लाइनो का क्लीयरेंस ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन के व्यक्तिगत भौतिक सत्यापन द्वारा किया जायेगा।

(साधारण नियम 3.38(ग), 3.39(i)(ii),3.40(3), 8.03 देखें)

6.1.3 **आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :**

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचलन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रुप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 दिन या अधिक दिन गाड़ी संचलन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारुप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रुप से देगें ।

(सहायक नियम 5.01(19) और परिचालन नियमावली के अध्याय 3 का पैरा 3003 देखें)

6.2. **लाइन क्लीयर देने की शर्तें :**

लाइन तब तक साफ नही समझी जायेगी तथा स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन क्लीयर तब तक नही दिया जायेगा जब तक कि :

(क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।

(ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।

(ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।

(घ) अप गाडियों के मामले में गेट सं० 12B/बी पर कार्यरत गेटमैन को तथा डाउन गाडियों के मामले में गेट सं० 15/सी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशानुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2)(क)(ख)(ग) (ii) तथा सहा० नि० 8.03(i), (ii),(iii),(iv) देखें)

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.2.1 <u>स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्ते</u> :-

6.2.1.1 <u>ब्लाक लाइन के विरूध्द काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना</u>

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरूध्द हो, तो दोनों छोरों के काँटें अवरूध्द लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 <u>अवरूध्द लाइन पर गाड़ी का आगमन</u>

जब स्टेशन पर किसी अवरूध्द लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें ।

6.2.1.3 <u>बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन</u> :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.4 <u>बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान</u> :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.5 <u>कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान</u> :-

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 <u>सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना</u> :- कोई नहीं।

6.3 **<u>आगमन सिगनलो को ''आफ'' करने की शर्ते</u> :**

आगमन सिगनलो को तब तक 'आफ' नही किया जायेगा जब तक कि :-

(1) सभी सम्मुख तथा अनुमुख काँटे जिन पर से गाड़ी गुजरेगी, सही ढंग से सेट एवं पाशित न कर दिये गये हों तथा स्टेशन पैनल पर संकेत न दिखायी दें ।

(2) परिचालित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन होना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृाष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध हो ।

(3) सुनिश्चित करें कि अप गाडी लाइन सं0 1 या लाइन सं0 2 पर लेते समय गेट सं0 12A/बी, 13/बी एवं 14/सी को बन्द कर दिया गया है। गेट नियंत्रण बटन संख्या क्रमशः 554, 553 एवं 551 को लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है। जिससे इन गेटों के बन्द होने के इंडिकेशन पैनल पर दिखाई देगें।

इसी प्रकार डाउन गाडी लाइन सं0 1 पर सैण्ड हम्प बनाकर लेते समय गेट 14A/स्पेशल तथा 14/सी का बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें और गेट नियन्त्रण बटन क्रमशः 551 एवं 552 को लाक्ड स्थिति में दबायें जिससे गेट बन्द का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा। मेन लाइन सं0 2 पर या मेन लाइन बनाकर लाइन सं0 1 पर गाड़ी लेते समय गेट सं0 14A/स्पेशल, 14/सी तथा 13/बी को बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 551, 552, 553 को लाक्ड स्थिति में दबाये जिससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखाई देगा।

(साधा० नि० एवं सहा० नि० 3.40(1)(ख), (3) (क) एवं (4) तथा सहा० नि० 3.40(1) देखें)

(एम०पी०सिंह)	(जवाहर राम)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर	मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.3.1 **आफ किये गये सिगनल को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व :-**
किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4. **गाड़ियों का एक साथ आगमन/क्रासिंग :**

(क) इस स्टेशन पर गाड़ियों का एक साथ आगमन की अनुमति नहीं है। गाड़ियो का आगमन एवं प्रस्थान निम्न प्रकार किया जा सकता है।

(i) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
अप ट्रेन का लाइन सं० 2 से प्रस्थान

(ii) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 2 से प्रस्थान

(ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ियों के ब्रेक वान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है।

(ग) यात्री गाड़ियों की क्रासिंग सहायक नियम 5.01(14) के अनुसार की जायेगी।

6.5. **गाड़ियों का पूर्ण आगमन :**

(क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के पीछे लगे एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है ।

(ख) रुकने वाली अप गाडियों के सम्बन्ध में गेट संख्या 13/बी पर कार्यरत गेटमैन का यह कर्तव्य होगा कि वह गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे LV/TL को देखकर स्वयं को आश्वास्त करने के पश्चात पूर्ण आगमन की सूचना प्राइवेट नम्बर के साथ टेलीफोन द्वारा कार्यरत स्टेशन मास्टर को बताये तथा अपनी-अपनी लाग बुक में प्रविष्टि करें। किन्तु डाउन गाड़ी तथा यदि कोई गाड़ी बिना टेललैम्प/टेलबोर्ड के अपूर्ण आती है तो कार्यरत स्टेशन मास्टर इस उद्देश्य हेतु ट्रेन इनटेक्ट पंजिका टी/1410 पर गार्ड से पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक लाइन बन्द नही करेगा जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नही प्राप्त कर लेता है। (साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखे)

(ग) गाड़ी के पूर्ण आगमन के बाद काँटो, सिगनलों तथा समपार फाटकों को उनकी सामान्य स्थिति में वापस कर दिया जायेगा ।

6.6 **गाड़ियों का प्रस्थान** :
जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

(क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से टोकनलैस ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।

(ख) जाँचें कि आक्यूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किट के लिये ट्रैक आक्यपैन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश नही जल रहा है।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(घ) डाउन गाड़ी के प्रस्थान के मामले में गेट संख्या 13/बी एवं 12A/बी को सड़क यातायात के विरूध्द बन्द होना सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन 553 एवं 554 को लाक्ड स्थिति में दबायें जिससे इन गेटों के बन्द होने के इंडिकेशन पैनल पर दिखायी आ जायेगें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि डाउन गाड़ी के प्रस्थान कराने से पूर्व गेट सं0 12B/बी पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में उल्लिखित अनुदेशानुसार सूचित कर दिया गया है ।

अप गाड़ी के प्रस्थान कराने से पूर्व सुनिश्चित करें कि गेट सं0 14/C तथा 14A/स्पेशल को बन्द एवं लाक कर दिया गया है तथा लाक्ड स्थिति में गेट नियन्त्रण बटन 552 एवं 551 को दबा दिया गया है। इनके बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर प्रकट हो जायेगा। साथ ही गाड़ी प्रस्थान कराने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करें कि गेट सं0 15/सी पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में उल्लिखित अनुदेशानुसार सूचित कर दिया गया है ।

(ङ) पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल रिलीज लाक में लगाकर घुमायें ताकि पैनल संचालन स्थिति में आ जाये ।

(च) जानेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रुट बटन एक साथ दबायें।

(छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।

(ज) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तिया जल जायेगीं।

(झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वांइंट्स के निकट सफेद लघु बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् अप गाडियों के लिये तीन–तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो–दो स्पष्ट घंटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी।

(ट) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पंहुचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल ''आन'' हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।

(ठ) गाड़ी का पूर्ण रुप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।

(ड) रेल पथ परिपथ की विफलता अथवा रेल पथ परिपथ बल्बों के फ्युज़ होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

6.6.1.**<u>सतर्कता (काशन) आदेश जारी करना</u> :**

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रुप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है,
ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनो पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशो के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा ।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.7. **गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना :**

(क) इस स्टेशन पर गाड़ियों को सामान्यतः मेन लाइन संख्या 2 से बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है। इन मामलो में अग्रिम प्रस्थान सिगनल का आफ संकेत मिलना ही चालक के लिये प्रस्थान प्राधिकार है।

(ख) यदि कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या–1 से बिना रुके सीधे जाय तो इसकी अनुमति नियमानुसार प्रतिबन्धित गति से दी जा सकती है । ऐसी स्थिति में स्टार्टर सिगनल आफ आस्पैक्ट तभी धारण करेगें जब गाड़ी बर्थिंग ट्रैक पर आ जायेगी।

(ग) स्टेशन से होकर सीधे जाने वाली गाड़ी को जाने की अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित लाइनों पर सभी प्रकार की शंटिगं अवश्य बन्द कर दी जाय । बराबर लाइनो पर किसी भी वाहन/वैगन जो बिना इंजन के हों या इंजन से अलग हों, वे सहायक नियम 5.23 के अनुसार सुरक्षित होने चाहियें।

(घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को"आगे बढ़ो" संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिये जो गाड़ी क्रू (चालक दल) को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा दूसरी ओर (आफ साइड) से भी संचलन की चौकसी की जानी चाहिये । इस प्रकार के संकेत को स्टेशन कर्मचारी द्वारा ट्रेन क्रू को रात में हरी बत्ती तथा दिन में हरी झन्डी दिखाकर सुनिश्चित किया जाये ।
(विशेष रुप से सहायक नियम 5.01(5) (i) से (vi) देखें)

(ड़) जब यात्री गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तो प्लेटफार्म वाली लाइन से कोई गाड़ी सीधे नहीं जायेगी । (साधारण नियम 5.01 (14) (IV) देखे)

6.8. **सिगनलों अथवा काँटों के खराब हो जाने पर गाड़ियों का संचलन** :

आगमन/प्रस्थान सिगनलों अथवा काँटो के विफल हो जाने की दिशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.68(1)(ग) सा0 नि0, 3.70(1)(2) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर सही मार्ग सेट करने के बाद सम्मुख एवं अनुमुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द करके गाड़ी के ड्राईवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करेगा। मोटर चालित काँटों की विफलता के समय काँटों को सेट करने के लिये क्रैन्क हैण्डिल का प्रयोग किया जायेगा। सम्मुख एवं अनुमुख दोनों काँटों को क्लैम्प पैडलाक किया जायेगा। यह कार्य स्टेशन मास्टर साइट पर स्वयं उपस्थित रहकर अपनी निगरानी में करायेगा। क्रैन्क हैण्डिल के प्रयोग हेतु विस्तृत अनुदेश संकेतन परिशिष्ट "ख" में देखें। शन्ट सिगनल खराब होने की स्थिति में सहा0 नि0 3.68(c) (1) के अनुसार सचंलन सुनिश्चित करे ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.72 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूध्द लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

(एम०पी०सिंह)	(जवाहर राम)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर	मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है।

संचालन नियम संख्या इज्जत/1 कल्यानपुर

6.9 **लारियो, ट्रालियो तथा मोटर ट्रालियों के संचलन के लिये विशेष अनुदेश** :

(क) मोटर ट्राली को गाड़ियों कें संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर अवश्य संचालित किया जाये ।

(ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है । इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये

(ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर देना चाहिये । गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नही है। साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 देखें ।

(घ) टोकेनलैस प्रखण्ड में मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपरों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य किया जाय।

7. लाइन अवरूध्द होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखो जाने की अनुमति नही है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूध्द हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूध्द की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूध्द हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। **तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।**
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा ।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरोध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

7.1 **स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंग:-**

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरूध्द की जाय तों, स्टेशन पर खाड़े वाहनों के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। **वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।**

(i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खाड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं०इज्जत/1 कल्यानपुर

(ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खातरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खातरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खाड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। **वाहन/वाहनो/लोड का सिक्योरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्योरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय,तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।**

<u>टिप्पणी</u> :

1 बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खाड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी आवश्यक है :-

(क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।

(खा) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।

(ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।

(घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा काँटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित **(आपरेट)** किये जाने चाहिये।

साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. **<u>शन्टिग</u> :** शन्टिग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधा0 एवं सहा0 नियम 8.09 से 8.10, 8.13 to 8.15 देखें।

8.1. **<u>ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग</u>** : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

(क) **<u>होम सिगनल के अन्दर शन्टिग</u> :**

निम्नलिखित शर्तो का पालन करते हुये शन्टिग की अनुमति है :–

i) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो।

ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिग का प्रभारी हो ।

iii) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिग करने हेतु लिखित अनुमति टी–806 पर दी जाय ।

(ख) **<u>होम सिगनल के बाहर शन्टिग</u>** :

निम्नलिखित शर्तो के साथ शन्टिग की अनुमति है :–

i) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा

ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो।

iii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिग का प्रभारी हो ।

iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन"स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिग करने हेतु लिखित अनुमति टी–806 पर दी जाय ।

8.2. **<u>आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिग</u> :** (आगमन अनुमति देने के बाद)

(क) **<u>बाह्यतम सम्मुख काँटों के अन्दर शन्टिंग</u>** :

i) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो।

ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिग का प्रभारी हो ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ख) **अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शन्टिंग**
बाह्यतम सम्मुख काँटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :–

i) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल “आन'' स्थिति में हो, तथा

ii) गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय ।

(ग) अग्रिम प्रस्थान सिगनल से आगे होम सिगनल तक शंटिंग की अनुमति नही है ।

8.3. **जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिग :**
प्रथम रोक सिगनल तक निम्नलिखित शर्तो के साथ शन्टिग की अनुमति है :–

i) जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।

ii) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।

iii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।

iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शन्टिग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाय।

नोट :– **1. सिगनलों के आन अथवा आफ आस्पैक्ट स्टेषन पैनल पर देखकर सुनिष्चित किया जायेगा।**
2. अप तथा डाउन शंटिंग चाबियॉ स्टेषन मास्टर कार्यालय में एक अलग–अलग 'ई' प्रकार के ताले और लीवर लाक एसेम्बली में लाक रहती है। इन शंटिंग चाबियों को जिनकी आवष्यकता अग्रिम प्रस्थान सिगनल एवं विपरीत होम सिगनल के मध्य शंटिंग करने के लिये होती है, 'ई' प्रकार के लाक से तभी निकाला जा सकता है जब सम्बन्धित टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र ''लाइन क्लोज़्ड'' अथवा ''ट्रेन गोइंग टू'' स्थिति में हो। रिलीज़ होने पर इन चाबियों को शंटिंग प्राधिकार के रूप में चालक को दिया जाय। विवरण के लिये परिषिष्ट 'ख' देखें।

8.4.1. **शन्टिग पर प्रतिबन्ध** :
आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल “आफ'' किये जाने के बाद नान आइसोलेटेड लाइनो पर शन्टिंग की अनुमति नही है।

8.4.2. **शन्टिग का कोई विशेष पहलू** :

(क) रावतपुर की ओर होम सिगनल तक शंटिंग के दौरान गेट सं0 13/B एवं 12A/B तथा मन्धना की ओर होम सिगनल तक शंटिंग के दौरान गेट सं0 14/C एवं 14A/Spl का बन्द एवं लाक होना शंटिग प्रभारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) **शंटिंग के समय गार्ड के निम्नलिखित कर्तव्य होगें** :–

1. सामान्य पर्यवेक्षण ।
2. सही वैगनो/वाहनो को जोड़ना तथा काटना और ठीक से मार्शलिंग कराना ।
3. यह सुनिश्चित करना कि शन्टिंग समाप्त होने के बाद वैगनो/वाहनो की कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है।
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ–साथ रहना जिसकी शन्टिंग की जा रही है तथा कॉटो की सही सेटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना । (सहायक नियम 5.14(1) एवं 3.39(ii) देखें)
5. शन्टिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना ।

8.5. **स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग** : कोई नहीं ।

8.6. **बहिर्वर्ती (आउट लाइंग) साइडिंग की कार्य विधि, यदि हो तो :** कुछ नही ।

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

9. **सामान्य अनुदेश** ::–

असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचलन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :
ट्रेन सिगनलिंग उपकरणो के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा वी0एच0एफ0सैट/बीएसएनएल फोन द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक यन्त्र टेलीफोन अथवा वी0एच0एफ0सैट/बीएसएनएल फोन से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।

2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तक यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहॉ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।

2(ख) **वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-**

(i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।

(ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैंस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।

(iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।

(iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन कलीयर लिया / दिया जाय।

2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनो की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनो के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा ।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

3. यदि कोई मोटर चालित काँटा अनुमुखित चीरते हुये (ट्रेल थ्रू) पार किया गया हो या काँटा विद्युत मशीन द्वारा प्रचालित किसी काँटें पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त काँटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर उक्त काँटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओ के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन काँटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परीक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अँकित किया जाना चाहिये।

4. **क्रैंक हैण्डिल द्वारा कॉटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि** :-
सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' में दी गयी विधि के अनुसार कार्य किया जायेगा।

5. **कॉलिंग आन सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण** :-
कालिंग आन सिगनल परिचालन से पूर्व कार्यरत स्टेषन मास्टर स्वयं भौतिक सत्यापन के द्वारा लाइनों का क्लीयरेन्स सुनिष्चित करे।

6. **कॉटों ट्रैक सर्किटध्एक्सिल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना** :-
विवरण सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' में देखें

9.1 **संचार साधनों की पूर्ण विफलता** :

1. **संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है** :-
साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे –

(क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सिल काउन्टर।

(ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,

(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।

(घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन एवं बी०एस०एन०एल०फोन

(ड़) नियन्त्रण दूरभाष ,

(च) वी० एच० एफ० सेट

2. **इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन** :
किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

(क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।

(ख) गाड़ी के इंजन द्वारा ।

(ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

(घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

3 **<u>संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी</u>** -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा । अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा ।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड मे इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को ''आन'' स्थिति मे पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमे प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा ।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमे इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो ।	
2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियो का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षरत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियो का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा ।	2.इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ी/गाड़ियों के लिए 'सशर्त लाइन क्लीअर संदेश' प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीअर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

<u>टिप्पणी</u> :

(क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख कॉंटें के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

(ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियॉ चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीअर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. **<u>सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियॉ</u> :**

(क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।

(ख) किसी भी तरह से संचार साधर फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरु होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीअर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीअर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2 **<u>दोहरी लाइन पर अस्थायी रुप से इकहरी लाइन का संचालन</u>** : कुछ नही।

9.3. **<u>दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायता के लिये बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान</u> :**
अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक खण्ड में राहत इंजिन/गाड़ी ले जाने के प्राधिकार टी/ए602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा। (सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09(3)(ii) (ii) (1) (2) (3) देखें।

9.4 **<u>विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश</u>** :

(क) प्रायः स्टेशन पर उपलब्ध व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति द्वारा रंगीन बत्ती वाले सिगनल प्रकाशित होते है।

(ख) जब मुख्य आपूर्ति उपलब्ध नहीं रहेगी तब इस उद्देश्य से लगे आई0पी0एस0 उपकरण द्वारा स्वतः विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ हो जायेगी। यदि स्टेशन मास्टर कक्ष में प्रदत्त आई0पी0एस0 स्थिति सूचक पैनल पर एलार्म बजता है तथा लाल बत्ती जलने लगती है तो एलार्म बन्द करने के लिये **ACK/Reset** पुश बटन दबायें तथा जनरेटर स्टार्ट करें। यदि आई0पी0एस0 सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो एलार्म तभी बन्द होगा जब जनरेटर चला दिया जायेगा।

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

ऐसी स्थिति में सिगनल एवं दूरसंचार कर्मचारी को सिस्टम ठीक करने के लिये सूचित किया जायेगा। (आई0पी0एस0 सिस्टम के विस्तृत निर्देश हेतु परिशिष्ट ''ख'' का देखें)

(ग) जब जनरेटर सेट चलाना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त प्रचालन पुश बटन को दबाकर अथवा हस्तक के माध्यम से डीजल जनरेटर चालू करवायेगें। जब जनरेटर चालू होता है, यह चेन्ज ओवर स्विच के द्वारा प्रकाश पद्धति से सम्बद्ध किया जाता है।

(घ) जब जनरेटर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, कार्यरत स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर को रुकवा देंगे।

(ङ) डीजल जनरेटर को आवश्यकता से अधिक गर्म होने से बचाने के लिये उसे एक बार में 4 घंटे से अधिक नही चलाना चाहिये। यद्यपि चेतावनी हूटर इस संकेत के लिये लगा हुआ है कि जनरेटर 4 घंटा चल चुका है। फिर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर का समय पर चौकसी रखने का उत्तरदायित्व है।

(च) डीजल जनरेटर के 4 घंटे चल लेने के उपरान्त 1 घंटा विश्राम के लिये रोक देना चाहिये जिसके बाद उसे आवश्यकतानुसार पुनः 4 घंटा चलाया जा सकता है। यदि जनरेटर चलाने की आवश्यकता जारी रहती है तो जनरेटर को 4 घंटे चलाकर 1 घंटा विश्राम देने का चक्र रखा जा सकता है।

(छ) इस उद्देश्य के लिये स्टेशन मास्टर एक पंजिका रखेंगें जिसमें व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति की विफलता और पुनः आपूर्ति का समय तथा डीजल जनरेटर के चलने के घंटों के मीटर की रीडिंग स्टेशन मास्टर द्वारा अँकित की जायेगी।

(ज) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रतिदिन 8.00 बजे डीजल जनरेटर को 10 मिनट चलाकर उसके संचलन सम्बन्धित परीक्षण का उल्लेख लाग बुक में करेगें। कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्न प्रारुप पर डीजल तेल उपयोग का विवरण डीजल तेल पंजिका में जनरेटर चलने के घंटो के साथ ही साथ रखेंगे।

प्रारुप

1. **व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनित्र प्रचालन** :

क्र० सं०	तिथि	आई०पी०एस०की चार्जिंग समय	कमर्शियल पावर सप्लाई विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. **डीजल का उपयोग** :

क्रम संख्या	दिनाँक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पणी :- तत्काल सन्दर्भ के लिये उक्त अनुच्छेदों के सुसंगत साधारण एवं सहायक नियम की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। सन्दर्भित नियम सम्पूर्ण नही है। अतः सभी साधारण एवं सहायक नियम अथवा अथवा समय-समय पर प्रशासन द्वारा जारी किये गये परिपत्र/अनुदेश/निर्देश का भी कड़ाई से पालन किया जाय।

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

10. **<u>दृश्यता परीक्षण लक्ष्य</u> :**

(क) **<u>अप छोर</u> :**
दिन एवं रात्रि में लाइन संख्या 1 के डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस - 7 का प्रकाश जैसा कि स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(ख) **<u>डाउन छोर</u> :**
दिन एवं रात्रि में लाइन संख्या 1 के अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस- 6 का प्रकाश जैसा कि स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. **<u>इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर</u>** : परिशिष्ट "ङ" देखें ।

12. **<u>कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम</u>** :
कोहरे के मौसम में फाग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची, उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर रखी फाग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

13. **<u>गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य</u> :** परिशिष्ट "घ" देखें ।

14. **<u>परिशिष्टों की सूची</u> :**

परिशिष्ट "क" समपार फाटको का संचालन

परिशिष्ट "ख" संकेतन एवं अन्र्तपाशन की पद्धति

परिशिष्ट "ग": टक्कर रोधी उपकरण

परिशिष्ट "घ": गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य

परिशिष्ट "ङ": स्टेशन के आवश्यक उपस्कर

परिशिष्ट "च": डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिगों के संचालन नियम

परिशिष्ट "छ": विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

<u>टिप्पणी</u> : **इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।**

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

" कुछ नहीं "

जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट ”घ”

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

(क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रुपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है

1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
3. कर्मचारियों को अपने कार्यो से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभॉति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको,डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
6. यार्ड और यार्ड उपकरणो का आवधिक निरीक्षण।
7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लघंन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।

(ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।

(ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यो के लिये पूर्ण रुप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रुप से करेगें।

(घ). कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कॉंटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

(जवाहर राम)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. **परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य** :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेगें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, कॉटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारो का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहना।
4. सभी सिगनल प्रचालनो का नियन्त्रण।
5. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
6. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
7. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
8. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
9. कर्मचारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण।
10. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नही हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें। सहायक नियम 3.39(ii) देखें।

3. **गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य**

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशो का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यो के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशो का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

(जवाहर राम)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

संचालन निमय सं० इज्जत/1 कल्यानपुर

<u>गाड़ियों के आगमन /प्रस्थान एवं शंटिग के लिये कॉटावाला के निम्न कर्तव्य होंगें :</u>

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिंगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।
2. कॉटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवक्षण में कॉटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधो से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
5. सिगनल अथवा कॉटों की विफलता के समय सिगनल के नीचे से प्रोसीड सिगनल देना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
7. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो के अनुसार फाग सिगनल लगाना
9. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
10. उसके प्रभार में कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-

i) सिगनल, कॉटों, क्रासिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।

ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।

12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

<u>टिप्पणी</u> :- जब कॉटें, कॉटेवालें द्वारा प्रचालित होते है, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

(जवाहर राम)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है।
संचालन निमय सं० इज्जत/1 कल्यानपुर

परिशिष्टि "ड़"

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रुप से रहेगें।

1.	हाथ सिगनल बत्ती	- 06 बैट्री आपरेटेड - 06 के० आयल
2.	हाथ सिगनल झण्डी	- 04 हरी तथा 06 लाल
3.	पटाखा सिगनल	- 50
4.	सुरक्षा जंजीरे	- 04 तालो सहित
5.	क्लैम्प	- 06 तालो सहित
6.	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स	- 01
7.	फायर बकेट	- 06
8.	अग्निशामक यन्त्रडी०सी०पी०टाइप	- 01
9.	लकड़ी के गुटके	- 04

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

'' कुछ नहीं ''

जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

" कुछ नहीं "

जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर